

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/सूचना के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी दायित्वों के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल डिप्टी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 451 दिनांक 17/01/2020

आवेदक श्री लक्ष्मी शर्मा पत्नी श्री अमरी भणुदेवी

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पता प.नं०: ए-3/ए व बी-2 ब्लॉक रिंग रोड रोड - राजमाडा

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 12072/- जमा

जरिये रसीद संख्या 1028/9802, 9803

दिनांक 17/01/2020 को जमा करा दी है ।

17/1/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

पी + 1
आवासीय

NOTARY.